

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 260]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 9 सितम्बर 2024—भाद्र 18, शक 1946

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2024

क्र. एफ-2-1-2008-एक-13.—राज्य सरकार एतद्वारा, मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम 2018 में निम्न संशोधन करती है :—

संशोधन

1. उक्त नियमों में, नियम 5 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्न उपनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(2) दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों अंत्येष्टि हेतु सहायता राशि 10,000/- (दस हजार रुपये) उनके परिवार प्रमुख को दी जावेगी.”

2. उक्त नियमों में, नियम 5 के उपनियम (3) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात् :—

“(3) दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जायेगी.”

3. उक्त संशोधन अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त हुआ समझा जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शैलबाला अंजना मार्टिन, अपर सचिव.